रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 428] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 25, 2019/श्रावण 03, 1941
No. 428] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 25, 2019/SHRAVANA 03, 1941

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जुलाई, 2019

सा.का.नि. 528(अ).— केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 469 के साथ पठित धारा 149 की उपधारा(1) के द्वितीय परंतुक, उपधारा(4) और उपधारा(6) के खंड (च), धारा 150 की उपधारा(3) और (4), धारा 151, धारा 152 की उपधारा(5), धारा 153, धारा 154, धारा 157, धारा 160, धारा 168 की उपधारा(1) और धारा 170 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) तीसरा संशोधन नियम, 2019 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 (इसके पश्चात् नियम कहे जाएंगे), के नियम 11 के उप-नियम (2) और उप-नियम (3) में "ई-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी" अक्षरों, शब्दों और अंकों के बाद शब्द, अक्षर और अंक "या वेब सेवा डीआईआर-3-केवाईसी-वेब" जैसा भी मामला हो, अंतःस्थापित किए जाएंगे।

3. उक्त नियमों के नियम 12क में,-

(i) "जिसे आबंटित किया गया है" शब्दों के स्थान पर "जिसके नियंत्रण में है" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) "तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष की तारीख 30 जून को या इससे पूर्व केंद्रीय सरकार को ई-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी प्रस्तुत करें" शब्दों, अक्षरों और अंकों के स्थान पर "तत्काल आगामी वित्तीय वर्ष की तारीख 30 सितंबर को या इससे पूर्व केंद्रीय सरकार को उक्त वित्तीय वर्ष के लिए ई-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी प्रस्तुत करें" शब्द, अक्षर और अंक रखे जाएंगे।

(iii) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि यदि किसी वैयक्तिक जिसने किसी पूर्व वित्तीय वर्ष से संबंधित ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी पहले से ही प्रस्तुत कर दिया है, वह अनुवर्ती वित्तीय वर्ष से संबंधित वेब सेवा के माध्यम से वेब-प्रपत्र डीआईआर-3-केवाईसी-वेब प्रस्तुत करता है, तो उक्त वित्तीय वर्ष के लिए इस नियम के उपबंधों का उचित अनुपालन किया गया समझा जाएगा:-

परंतु यह भी कि यदि कोई वैयक्तिक अपना निजी मोबाइल नंबर या ई-मेल पता, जैसा भी मामला हो, अद्यतन करने की इच्छा रखता है, तो वह केवल ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी प्रस्तुत करके उसको अद्यतन करेगा :

परंतु यह भी कि ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी-प्रपत्र का वेब प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी-वेब जैसा भी मामला हो, फाइल करने के लिए कंपनी (रजिस्ट्रीकृत कार्यालय और शुल्क) नियम, 2014 में दिए प्रावधानों के अनुसार, शुल्क वेब सेवा के माध्यम से देय होगा।"।

4. उक्त नियमों के अनुलग्नक में, ई-प्रपत्र डीआईआर-3 केवाईसी के पश्चात् निम्नलिखित वेब-प्रपत्र अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"डीआईआर-3-केवाईसी-वेब [कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 12क के अनुसरण में]	सत्यमेव जयते	निदेशकों का केवाईसी

1. निदेशक पहचान संख्या (डिन)
2. निदेशक का नाम
3. पिता का नाम
4. क्या भारत का नागरिक है O हां O नहीं
5. राष्ट्रीयता
6. क्या भारत का आवासी है O हां O नहीं
7. जन्म की तारीख(दिन/माह/वर्ष)
8. लिंग O पुरुष O स्त्री O अन्य
9. आयकर पैन
10. आधार संख्या
11. मतदाता पहचान-पत्र संख्या
12. पासपोर्ट संख्या
13. ड्राईविंग लाईसेंस संख्या
14. निजी मोबाइल नंबरराज्य कोड

IndiaCode

15. निजी ई-मेल आईडी

16. स्थायी आवासीय पता

.....

17. वर्तमान आवासीय पता

.....

मैं, यह स्वीकार करता हूँ और इस बात की पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त दिए गए सभी विवरण सत्य, सही एवं सम्पूर्ण है।"

[फा.सं.1/22/2013-सीएल-V]

के.वी.आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव

टिप्पणः- मूल अधिसूचना सा.का.नि. 259(अ), तारीख 31 मार्च, 2014 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा इसमें पश्चात्वर्ती संशोधन किए गए:-

क्रं.सं.	**अधिसूचना संख्या**	**अधिसूचना की तारीख**
1.	सा.का.नि. 671(अ)	18.09.2014
2.	सा.का.नि. 42(अ)	19.01.2015
3.	सा.का.नि. 839(अ)	05.07.2017
4.	सा.का.नि. 51(अ)	22.01.2018
5.	सा.का.नि. 431(अ)	07.05.2018
6.	सा.का.नि. 558(अ)	12.06.2018
7.	सा.का.नि. 615(अ)	05.07.2018
8.	सा.का.नि. 798(अ)	21.08.2018
9.	सा.का.नि. 904(अ)	20.09.2018
10.	सा.का.नि. 339(अ)	30.04.2019
11.	सा.का.नि. 368(अ)	16.05.2019

IndiaCode

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th July, 2019

G.S.R. 528(E).—In exercise of the powers conferred by the second proviso to sub-section (1), sub-section (4) and clause (f) of sub-section (6) of section 149, sub-sections (3) and (4) of section 150, section 151, sub-section (5) of section 152, section 153, section 154, section 157, section 160, sub-section (1) of section 168 and section 170 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014, namely:—

1. (1) These rules may be called the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Third Amendment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 11, in sub-rule (2) and sub-rule (3), after the letters, words and figure "e-form DIR-3-KYC" the words, letters and figures "or the web service DIR-3-KYC-WEB" as the case may be" shall be inserted.

3. In the said rules, in rule 12A,-

(i) for the words "who has been allotted", the words "who holds" shall be substituted;

(ii) for the words, letters and figures "submit e-form DIR-3-KYC to the Central Government on or before 30th June of immediate next financial year", the words, letters and figures "submit e-form DIR-3-KYC for the said financial year to the Central Government on or before 30th September of immediate next financial year" shall be substituted;

(iii) after the proviso, the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided further that where an individual who has already submitted e-form DIR-3 KYC in relation to any previous financial year, submits web-form DIR-3 KYC-WEB through the web service in relation to any subsequent financial year it shall be deemed to be compliance of the provisions of this rule for the said financial year:

Provided also that in case an individual desires to update his personal mobile number or the e-mail address, as the case may be, he shall update the same by submitting e-form DIR-3 KYC only:

Provided also that fee for filing e-form DIR-3 KYC or web-form DIR-3 KYC-WEB through the web service, as the case may be, shall be payable as provided in Companies (Registration Offices and Fees) Rules, 2014.".

4. In the said rules, in the Annexure, after e-form DIR-3 KYC, the following web-form shall be inserted, namely:-

IndiaCode

"DIR-3-KYC -WEB

[Pursuant to rule 12A of The Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014]

सत्यमेव जयते

KYC of Directors

1. Director Identification Number(DIN) []
2. Director's name []
3. Father's Name []
4. Whether a citizen of India O Yes O No
5. Nationality []
6. Whether resident in India O Yes O No
7. Date of birth [] (DD/MM/YYYY)
8. Gender O Male O Female O Transgender
9. Income tax PAN []

10. Aadhaar number

11.Voter's Identity card number

12. Passport number

13. Driving license number

14. Personal Mobile Number Country Code

15. Personal Email ID

16.Permanent residential address

17. Present residential address

I, accept and confirm that the particulars given herein above are true, correct and complete".

[F. No. 1/22/2013-CL-V]

K.V.R. MURTY, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 259(E) ,dated the 31st March, 2014 and subsequently amended *vide* the following notifications:-

Serial Number	Notification Number	Notification Date
1.	G.S.R. 671(E)	18.09.2014
2.	G.S.R. 42(E)	19.01.2015
3.	G.S.R. 839(E)	05.07.2017
4.	G.S.R. 51(E)	22.01.2018
5.	G.S.R. 431(E)	07.05.2018
6.	G.S.R. 558(E)	12.06.2018
7.	G.S.R. 615(E)	05.07.2018
8.	G.S.R. 798(E)	21.08.2018
9.	G.S.R. 904(E)	20.09.2018
10.	G.S.R. 339(E)	30.04.2019
11.	G.S.R. 368(E)	16.05.2019

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2019.07.26 16:34:52 +05'30'